राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 793/2013/जयपुर
मैसर्स तिरूपति प्रोटीन्स प्रा.लि.
जयपुर — प्रार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन–प्रथम,आबूरोड — अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री यशस्वी शर्मा
अभिभाषक — प्रार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 1·12·2014

निर्णय

यह अपील प्रार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त(अपील्स)तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर(जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 52/अपील्स–तृतीय/12–13/ई में पारित आदेश दिनांक 17.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वितीय,प्रतिकरापवचंन,आबूरोड (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा वाहन संख्या आर.जे. 23 जी 1588, एम.पी. 09 एचएफ 1576 को दिनांक 02.03.2012 को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 मावल (आबूरोड) पर चेक किये जाने पर वाहन में Palm Fatty Acid Oil भरा पाया गया, जो थोर से जयपुर के लिए परिवहनित किया जा रहा था,जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी श्री सारगरमल व श्री भवानी सिंह द्वारा 1.मैसर्स एन.के. प्रोटीन्स लिमिटेड थोर इनवायस नम्बर आर 4611/087470 दिनांक 01.03.2012 माल Palm Fatty Acid Oil वजन 15660 किलोग्राम कीमतन रू. 7,94,557/–एजेन्ट तिरूपति प्रोटीन्स प्रा.लि.जयपुर कनसाईनी मैसर्स ओसवाल फैक्ट्री, जयपुर संव्यवहार एफ फार्म के विरूद्ध, 2.मैसर्स अनमोल रोड लाईन्स, जयपुर की जी आर नम्बर 2635/– दिनांक निल 3. मैसर्स एन.के.प्रोटीन्स लिमिटेड, थोर इनवाइस नम्बर आर 4622/087603 दिनांक 01.03.2012 Palm Fatty Acid Oil वजन 16180 किलोग्राम कीमतन रू. 8,24,511/–एजेन्ट तिरूपति प्रोटीन्स प्रा.लि.जयपुर कनसाईनी मैसर्स देशराज सोप एण्ड केमीकल प्रा.लि., जयपुर संव्यवहार एफ फार्म के विरूद्ध, 4. मैसर्स अनमोल रोड लाईन्स, जयपुर की जी आर नम्बर 2637/– दिनांक 01.03.2012 आदि दस्तावेज

प्रस्तत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वहनित कर योग्य माल एफ फार्म के अन्तर्गत पाये जाने पर वाहन चालक/ माल प्रभारी को वैट—47 प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त निर्देश पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा कथन किया गया कि माल लदान के पश्चात दिये गये समस्त दस्तावेज आपके समक्ष वास्ते प्रस्तुत कर दिये गये हैं और इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेज वैट—47 आदि उन्हें नहीं दिये गये हैं। एफ फार्म के विरूद्ध माल वहनित/ आयात करने पर वक्त जांच बिल,बिल्टी के साथ घोषणा पत्र वैट—47 का होना/पेश किया जाना विधिक रूप से अनिवार्य है। बिना घोषणा पत्र वैट—47 के आयात/परिवहन करना राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76(2), 79(1) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के प्रावधानों की अवहेलना मानते हुए सहाहयक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट प्रथम, प्रतिकरापकवचंन,आबूरोड को अधिनियम अधिनियम की धारा 76 (5) के अन्तर्गत निरूद्ध की कार्यवाही प्रस्तावित कार्यवाही अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत किये जाने हेतु उपायुक्त(प्रशासन), पाली के निर्देश के आधार पर स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट—47 नहीं होने के कारण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए माल मालिक फर्म मैसर्स तिरूपति प्रोटीन्स प्रा.लि.,जयपुर को अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट—47 पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने उसे अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 4,85,720/— आरोपित कर दी,जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने दिनांक 17.12.2012 को अपीलाधीन पारित कर आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार कर दी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है। उनका कथन है कि परिवहनित माल Palm Fatty Acid Oil है जो अपीलार्थी का कच्चा माल है,जिसका परिवहन थोर से जयपुर के लिए किया जा रहा है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग माल से सम्बन्धित बिल,बिल्टी,गेटपास एवं डिलीवरी चालान आदि थे किन्तु वाहन चालक की भूल से जारी किया गया घोषणा पत्र वैट—47 ट्रांसपोर्टर के पास ही रह गया था,जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर जवाब के साथ प्रस्तुत कर दिया गया,इसलिए हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का कोई दोषी मनोभाव नही होने से मैसर्स

गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी व अन्य निर्णय दिनांक 3.5.2007 लागू नहीं होकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी. मेटल्स (124 एसटी सी 611) लागू होता है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है, जो अविधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 190/2012 मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,भिवाडी में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2013, एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 3/2011 मैसर्स हीरामणी फूड प्रोडक्टस,किशनगढ़ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बांसवाडा एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2013 को उद्धृत करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नहीं होने कारण कर निर्धारण अधिकारी नोटिस जारी किये जाने पर, उसकी पालना में घोषणा पत्र वैट-47 प्रस्तुत करना बाद की सोच (after thought) है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत का 30 प्रतिशत शास्ति रू. 4,85,720/-आरोपित की गई है, जो उचित है। उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत किये गये निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट-47 नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 4,85,720/-आरोपित की है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2012 को पारित कर यथावत रखा है ।

हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट-47 संख्या ए-0006268 व ए-0006267 किये गये हैं, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के कपेज 20 पर उपलब्ध है।। अतः घोषणा पत्र वैट-47 के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति उचित नहीं है।

प्रकरण के तथ्यों से उजागर होता है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 नहीं पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया । नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा वैट–47 के नहीं होने के कारणों को उजागर करते हुए घोषणा पत्र वैट–47 संख्या ए–0006266 व ए–0006267प्रस्तुत कर दिये गये थे। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स डी पी मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखे जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उस सन्दर्भ में उद्धृत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट–2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट–2 पेज 37 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on

5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

"..............On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2012 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य